Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 150: Obligation to furnish information return

- (1) Any person, being—
 - (a) a taxable person; or
 - (b) a local authority or other public body or association; or
 - (c) any authority of the State Government responsible for the collection of value added tax or sales tax or State excise duty or an authority of the Central Government responsible for the collection of excise duty or customs duty; or
 - (d) an income tax authority appointed under the provisions of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961); or
 - (e) a banking company within the meaning of clause (a) of section 45A of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); or
 - (f) a State Electricity Board or an electricity distribution or transmission licensee under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), or any other entity entrusted with such functions by the Central Government or the State Government; or
 - (g) the Registrar or Sub-Registrar appointed under section 6 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908); or
 - (h) a Registrar within the meaning of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or
 - (i) the registering authority empowered to register motor vehicles under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (j) the Collector referred to in clause (c) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013); or
 - (k) the recognised stock exchange referred to in clause (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956); or
 - (l) a depository referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996); or
 - (m) an officer of the Reserve Bank of India as constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); or
 - (n) the Goods and Services Tax Network, a company registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or
 - (o) a person to whom a Unique Identity Number has been granted under sub-section (9) of section 25; or
 - (p) any other person as may be specified, on the recommendations of the Council, by the Government,

who is responsible for maintaining record of registration or statement of accounts or any periodic return or document containing details of payment of tax and other details of transaction of goods or services or both or transactions related to a bank account or consumption of electricity or transaction of purchase, sale or exchange of goods or property or right or

Central Goods & Services Tax Act, 2017

interest in a property under any law for the time being in force, shall furnish an information return of the same in respect of such periods, within such time, in such form and manner and to such authority or agency as may be prescribed.

- (2) Where the Commissioner, or an officer authorised by him in this behalf, considers that the information furnished in the information return is defective, he may intimate the defect to the person who has furnished such information return and give him an opportunity of rectifying the defect within a period of thirty days from the date of such intimation or within such further period which, on an application made in this behalf, the said authority may allow and if the defect is not rectified within the said period of thirty days or, the further period so allowed, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, such information return shall be treated as not furnished and the provisions of this Act shall apply.
- (3) Where a person who is required to furnish information return has not furnished the same within the time specified in sub-section (1) or sub-section (2), the said authority may serve upon him a notice requiring furnishing of such information return within a period not exceeding ninety days from the date of service of the notice and such person shall furnish the information return.

धारा 150 : सूचना विवरणी देने की बाध्यता

- (1) कोई व्यक्ति-
 - (क) जो कोई कराधेय व्यक्ति है; या
 - (ख) जो कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है; या
 - (ग) जो मूल्य संवर्धित कर या विक्रय कर या राज्य आउटपुट कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद—शुल्क या सीमाशुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी है; या
 - (घ) जो आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आय–कर प्राधिकारी है; या
 - (ड.) जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के खंड (क) के अर्थान्तर्गत कोई बैंक कंपनी है; या
 - (च) जो विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त किसी इकाई के अधीन कोई राज्य विद्युत बोर्ड या कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक है; या
 - (छ) जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार है; या
 - (ज) जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार है; या
 - (झ) जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त प्राधिकारी है; या
 - (ञ) जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कलेक्टर है: या
 - (ट) जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज है; या
 - (ठ) जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (इ.) में निर्दिष्ट निक्षेपागार है; या
 - (ड) जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन यथागठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है; या
 - (ढ) जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी, माल और सेवा कर नेटवर्क है; या
 - (ण) जो ऐसा व्यक्ति है जिसे धारा 25 की उपधारा (9) के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है; या
 - (त) जो सरकार द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर, यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति है,

और जो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, लेखा रिजस्ट्रीकरण या विवरण या कोई आविधिक विवरणी या कर के संदाय और माल या सेवा के संव्यवहार के अन्य ब्यौरे को अंतर्विष्ट करने वाले दस्तावेज या दोनों या किसी बैंक खाता से संबंधित संव्यवहार या विद्युत खपत या क्रय या विक्रय के संव्यवहार या माल या संपत्ति का आदान—प्रदान या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए ऐसी अविध और ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप या रीति में जो विहित की जाए और यथा विहित, ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण के संबंध में उसकी सूचना की विवरणी देने के लिए उत्तरदायी होगा।

- (2) जहां आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना विवरणी में दी गई उस सूचना, जो त्रुटिपूर्ण है, को विचार में लेगा, वह ऐसी त्रुटिपूर्ण सूचना विवरणी देने वाले उस व्यक्ति को सूचित करेगा ओर उसे ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर या उसकी ओर से किए गए आवेदन पर उक्त प्राधिकारी द्वारा बढ़ाए जाने के लिए अनुज्ञात की जाने वाली, ऐसी और अविध के भीतर त्रुटि का सुधार करने का एक अवसर देगा, और यदि त्रुटि का सुधार उक्त तीस दिन की अविध या उसे अनुज्ञात की गई अविध के भीतर नहीं किया गया है तो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी भरी हुई नहीं समझी जाएगी ओर इस अधिनियम के उपबंध तदन्सार लागू होंगे।
- (3) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना विवरणी दिया जाना अपेक्षित है, उसे उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उसे नोटिस की तामील की तारीख से नब्बे दिनों से अनधिक अवधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा का नोटिस दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी देगा।